(280)

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12—जुलाई 18, 2014 (आषाढ़ 21, 1936)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12—JULY 18, 2014 (ASADHA 21, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक जून 2014

संख्या :7-3/2003-के0हो0परि0(पाठ)—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 24 के साथ पठित उसकी धारा 33 की उपधारा (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) संशोधन विनियम, 2014 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगे ।

(2) उक्त विनियमों में :—

(क) विनियम 2 में, खण्ड (क) में, उप खण्ड (5) में, शब्दों "की प्रणाली" को निकाला जायेगा ।

(ख) विनियम 4 में, शब्द "सदस्यों" को शब्द " साम्यासियो" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ग) विनियम 5 के पश्चात्, निम्न विनियम को जोड़ा जायेगा, अर्थात :—

" 5 अ (1) एक पंजीकृत आयुर्विज्ञानी साम्यासी चिकित्सीय प्रमाण पत्रों की एक पंजिका बनाएगा जिसमें उसके द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्रों का विस्तृत ब्यौरा होगा जैसा कि संलग्नक-1 में निर्दिष्ट किया है;

(2) उप–विनियम (1) में उद्धृत चिकित्सीय प्रमाणपत्र जारी करते समय, वह रोगी के पहचान के निशान की प्रवि दर्ज करेगा तथा उसकी प्रति रखेगा।

(3) आयुर्विज्ञानी साम्यासी रोगी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लेगा तथा कम से कम रोगी का एक पहच का निशान तथा पता चिकित्सीय प्रमाण पत्र में दर्ज करेगा ।

(घ) विनियम 8 में, शब्द "तांत्रिक" के पश्चात् "अथवा प्रयोगशाला अथवा नैदानिक केन्द्र" शब्दों को अंत में जो जायेगा ।

(ङ) विनियम 10 में, हाशिये पर टिप्पणी के लिए "मरीज उपेक्षित नहीं होगा" के स्थान पर "मरीज को उपेक्षित न किया जायेगा" से प्रति स्थापित किया जायेगा।

(च) विनियम 12 में, उप विनियम (3) के लिए, निम्न को प्रति स्थापित किया जायेगा, अर्थात : –

"(3) उसके कार्य व कार्यलोप की परख होम्योपैथी में उसकी शिक्षा के दौरान उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार उस अपेक्षित व्यवसायिक सेवाओं के स्तर के आधार पर होगी"

(छ) विनियम 12 के पश्चात्, निम्न विनियम को जोड़ा जायेगा, अर्थात :–

"12 अ. चिकित्सक को कानून व विनियम का परिपालन करना होगा :–

एक चिकित्सक –

(अ) होम्योपैथी साम्यास को विनियमित करने वाले कानूनों के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा,

(आ) होम्योपैथी साम्यास को विनियमित करने वाले कानून का उल्लंघन करते हुए अन्यों की सहायता नहीं करेगा,

(इ) जनसाधारण के स्वास्थ्य के हित में सफाई के नियमों तथा विनियमों के लागू करने मे मदद करेगा,

(ई) औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23); औषध एवं प्रसाधन नियम, 1945, भेषज अधिनियम, 1948 (1948 का 8); मादक द्रव्य एवं मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61); चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 (1971 का 34); मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42); विकलांग व्यक्ति (समान अवसर और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 (1996 का 1) तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियम, 1998 तथा अन्य जन स्वास्थ्य के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक संस्थानों के अधिनियमों, नियमों का परिपालन करेगा।"

(ज) विनियम 20 में "होम्योपैथी का" शब्दों को हटा दिया जायेगा ।

(झ) विनियम 38 को, निम्न विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"38. एक साम्यासी, द्वारा आचरण व अनाचरण के कार्यकलाप व्यावसायिक दुराचार समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी, अर्थात :–

(क) यदि कोई साम्यासी इन विनियमों के किसी प्रावधानों का उल्लंघन करता हो;

(ख) यदि वह राज्य होम्योपैथी परिषद् अथवा बोर्ड अथवा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा जारी पंजीकरण संख्या जैसा भी मामला हो अपने क्लीनिक में प्रदर्शित करने में असमर्थ रहता हो;

(ग) यदि वह नुस्खाप्रलेखन तथा प्रमाण पत्रों का रिकार्ड रखने में असमर्थ रहता हो;

(घ) यदि वह किसी रोगी, से व्यभिचार या दुर्व्यवहार करता हो अथवा रोगी के साथ अनुचित संबंध रखता हो;

(ङ) यदि न्यायालय द्वारा चरित्रहीनता के अपराधो के लिए दण्डित हुआ हो,

(च) यदि वह अपने नाम तथा प्राधिकार से कोई ऐसा प्रमाण पत्र, रिपोर्ट अथवा दस्तावेज हस्ताक्षरित करता है या देता है जो कि असत्य, भ्रामक तथा अनुचित हो;

(छ) यदि वह औषध तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करता हो,

(ज) यदि वह औषध अथवा प्रतिबंधित गरल जिसे औषध तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया हो, का विक्रय करता हो;

(झ) यदि स्वयं अथवा किसी अयोग्य व्यक्ति को गर्भपात अथवा शल्य क्रिया करता हो अथवा ऐसा करने के लिए बढ़ावा देता हो;

(ञ) यदि किसी अशिक्षित अथवा गैर—आयुर्विज्ञानी व्यक्तियों को होम्योपैथी में प्रमाण पत्र जारी करता है ।

परन्तु इन विनियमों के अन्तर्गत होम्योपैथी के साम्यासियों के निजी पर्यवेक्षण में चिकित्सकों के वैध कर्मचारियों, दाईओं, कम्पाउन्डरो, सहायकों अथवा कुशल यांत्रिक तथा तकनीकी सहायकों को उपयुक्त प्रशिक्षण तथा निर्देश देने को मना नहीं किया जा सकता है ।

(ट) यदि वह निवास अथवा कार्य स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर या किसी दवाई की दुकान में नामपट्ट प्रदर्शित करता है ।

(ठ) यदि वह किसी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के आदेश के अतिरिक्त किसी रोगी के रहस्य उजागर करता है जो उसने अपने वृतिक कर्म के दौरान जाने हों।

(ड़) यदि वह केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अवहेलना करता हो ।

परन्तु इन विनियमों मे कुछ भी उसके द्वारा किए जा रहे नैदानिक औषध परीक्षण अथवा अन्य अनुसंधान जिसमें रोगी अथवा स्वयंसेवक सम्मिलित हो जैसा कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा होम्योपैथी के लिए गठित परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो ।

परन्तु सभी मामलों पर मनन नैतिकता के आधार पर होना चाहिए ।

(ढ़) यदि रोगियों के फोटोग्राफ अथवा केस रिपोर्ट का प्रकाशन किसी आयुर्विज्ञानी अथवा अन्य पत्रिका में प्रकाशित करता है ।

परन्तु मरीज की सहमति से या बिना उसकी पहचान बताए यदि उक्त को प्रकाशित करता है तो इन विनियमों का प्रभाव नहीं होगा ।

(ण) यदि फीस का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है ।

परन्तु उक्त का प्रदर्शन चिकित्सक के परामर्श या प्रतीक्षा कक्ष में किया है तो इन विनियमो का प्रभाव नहीं होगा।

(त) यदि वह मरीज लाने हेतु दलालों की मदद लेता हो;

(थ) यदि वह संबंधित शाखा में विशिष्ट अर्हता के बिना विशेषज्ञ होने का दावा करता हो;

(द) यदि वह विनियम 12 के उप विनियम (4) का उल्लंघन करता हो;

(ध) यदि वह उस संस्था अथवा क्लीनिक का नाम विज्ञापन में देता है अथवा प्रकाशित करता हो जिस में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, रोगियों के नाम जिनका ईलाज नहीं किया गया हो,

(न) यदि वह उस चिकित्सक का नाम अथवा फोटोग्राफ का विज्ञापन में प्रकाशन करता है जो कि उस संस्था या क्लीनिक को चलाता हो अथवा उस में कार्यरत हो,

(प) यदि वह अनावश्यक रूप से बड़े नाम पट्ट पर अपने नाम, अर्हता तथा अर्हता प्रदान करने वाली संस्था के अतिरिक्त अन्य का प्रदर्शन करता हो ।

(फ) यदि वह मरीज के धर्म अथवा जाति के आधार पर ईलाज करने से मना करे।

परन्तु यह विनियम उस परिस्थिति में लागू नहीं होंगे यदि वह अपने नाम से जन स्वास्थ्य व स्वच्छता के संबंध में प्रैस में लेख लिखता हो अथवा कभी कभी जन संभाषण, टेलिविज़न अथवा रेडियो में स्वास्थ्य अथवा स्वच्छता के संबंध में वार्ता में बिना विशेष ईलाज प्रक्रिया अथवा नुस्खे सुझाये, भाग लेता हो,

(ब) यदि वह परिशिष्ठ—2 में वर्णित प्रमाण पत्र जारी करता हो जो कि झूठा, असत्य, भ्रमित करने वाला अथवा गलत हो, तो उसका नाम होम्योपैथी चिकित्सको के पंजिका से हटा दिया जायेगा,

(म) विनियम 38 के पश्चात्, निम्न विनियम को जोड़ा जायेगा, अर्थात :–

"39 अनुशासनात्मक कार्रवाई:–(1) यदि कोई होम्योपैथी साम्यासी कोई दुराचार का कार्य करता हो तो राज्य बोर्ड :–

(अ) अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है जो कि उसे उचित प्रतीत होती हो,

(आ) राज्य होम्योपैथिक चिकित्सको की पंजीका से उसका नाम पूर्णतः अथवा निर्दिष्ट समय के लिए हटाया जा सकता है यदि किसी अपराध के लिया दोषी सिद्ध होता है ।

परन्तु इस उप विनियम के तहत साम्यासी को बिना पूर्ण सुनवाई का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

परन्तु इस विनियम के अन्तर्गत दुराचार की शिकायत मान्य नहीं की जा सकेगी जब तक कि शिकायत राज्य बोर्ड अथवा राज्य परिषद् में रु0100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक अथवा ओथ–कमिश्नर से प्रमाणित न हो ।

(2) राज्य बोर्ड उप विनियम (1) के तहत अपने निर्णय को केन्द्रीय परिषद् को प्रेषित करेगा ।

(3) पीड़ित होम्योपैथिक साम्यासी राज्य बोर्ड के निणर्य के विरूद्ध केन्द्रीय परिषद् में अपील कर सकता है तथा केन्द्रीय परिषद् राज्य बोर्ड तथा साम्यासी को सुनावाई का एक मौका देने के पश्चात् अपना निर्णय लेगी ।

(4) परिषद् राज्य बोर्ड को राज्य पंजिका में जिस अवधि के लिए साम्यासी का नाम हटाया गया हो, की अंवधि समाप्ति के पश्चात् पुनः सम्मिलित करने हेतु निदेश दे सकती है ।

(5) परिषद् शिकायत के निपटान की अवधि में साम्यासी को होम्योपैथी साम्यास से मना कर सकती है ।

(6) किसी व्यावसायिक अक्षमता की शिकायत का निर्णय करते समय, केन्द्रीय परिषद् होम्योपैथी के श्रेष्ठ साम्यासियों के समूह की राय लेगी जैसा कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् निर्दिष्ट करे ।

(7) किसी होम्योपैथी साम्यासी के विरुद्ध दुराचार की शिकायत तब तक मान्य नही होगी जब तक कि यह आरोपित दुराचार की तिथि से छः माह के अन्दर न की गई हो।

डॉ0ललित वर्मा
सचिव
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

पादटिप्पणीः– मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–III, अनुभाग–4, अधिसूचना–2 के द्वारा 16 मार्च, 1982 को प्रकाशित किया गया था तथा तत्पश्चात् एक शुद्धिपत्र राजपत्र में दिनांक 11 नवंबर, 1982 को प्रकाशित किया गया ।

(282)

परिशिष्ट–1

[विनियम–5(अ)देखें]

छुट्टियों अथवा छुट्टियों को बढ़ाने अथवा छुट्टियों तथा स्वस्थता की संप्रेषण हेतु प्रमाण पत्र का प्रारुप

रोगी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान.....

सरकारी चिकित्सीय सहायक अथवा चिकित्सा सान्यासी की उपस्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय ।

पहचान के चिन्ह:–

(अ) .....

(आ) .....

मै, डॉ0..... पूर्ण जाँच के पश्चात् एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ..... जिसके हस्ताक्षर उपर्युक्त हैं ..... बीमारी से ग्रसित है तथा मेरे विचार में कार्य से ..... से छुट्टियॉ उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु नितांत आवश्यक है ।

मैं डॉ0 ..... पूर्ण जॉच करने के पश्चात् एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ..... स्वास्थ्य लाभ के पश्चात् वह कार्य हेतु ठीक है ।

चिकित्सा सहायक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनॉक:

पंजिकरण संख्या .....

(केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद/राज्य होम्योपैथी परिषद)

नोट:– बीमारी की संभावित अवधि लिखी जानी चाहिए । इस प्रमाण पत्र के साथ बीमार का संक्षिप्त जिसमे रोग प्रवृति, इसके लक्षण, कारक तथा अवधि के उल्लेख किया जाना चाहिए।

परिशिष्ठ–2

[विनियम–38(य)देखें]

चिकित्सकों द्वारा विभिन्न अधिनियमों अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र :–

1. विभिन्न केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियमों के अंतर्गत जन्म अथवा मृत्यु अथवा मृत के निपटान हेतु प्रमाण पत्र जारी करना ।

2. मानसिक स्वास्थ्य आधिनियम, 1987 (1987 का 14 वॉ) तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत पागलपन और मानसिक बिमारी के प्रमाण पत्र ।

3. शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण पत्र ।

4. सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, तथा आदेशों के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र।

5. संचारी रोगों की अधिसूचना से संबंधित अधिनियम और सूचनायों के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र ।

6. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34वॉ);

7. बीमार के लामार्थ बीमा तथा उपचार मैत्रीय पूर्ण सोसाईटी से संबंधित प्रमाण पत्र ।

8. पासपोर्ट जारी करने अथवा आवेदन हेतु प्रमाण पत्र ।

9. न्यायालय में हाजिर होने में छूट, सार्वजनिक सेवा में, सरकारी दफ्तर में अथवा साधारण कर्मचारी को जारी प्रमाण पत्र ।

10. पेंशन विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत तथा संबंधित प्रमाण पत्र ।

11. ड्राईविंग लाईसेंस हेतु प्रमाण पत्र ।

(283)

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi, dated June 2014

F.No7-3/2003-CCH (Pt.)—In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of section 33 read with section 24 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982, namely :–

(1) These regulations may be called the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said regulations,—

(a) in regulation 2, in clause (a), in sub-clause (5), the words "system of" shall be omitted.

(b) in regulation 4, for the word "members" the word "practitioners" shall be substituted;

(c) after regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:-

"5A (1) A registered medical practitioner shall maintain a Register of Medical Certificates containing the details of the medical certificates issued by him which shall be in the manner specified in Appendix-1.

(2) While issuing medical certificate referred to in sub-regulation (1), he shall enter the identification mark of the patient and keep a copy of the same.

(3) The medical practitioner shall obtain the signature or thumb mark of the patient and record at least one identification mark and address of the patient on the medical certificate.

(d) in regulation 8, after the word "occulist" the words "or from laboratory or diagnostic centres" shall be inserted at the end;

(e) in regulation 10, for the marginal notes "Patient not be Neglected" the marginal notes "Patient not to be Neglected" shall be substituted.

(f) in regulation 12, for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) His acts of commission or omission shall be judged by the standards of professional service expected of him as per the training received by him during his education in Homoeopathy.".

(g) after the regulation 12, the following regulation shall be inserted, namely:-

"12 A. Physician to obey law and regulation:-

A physician,—

(a) shall not act contrary to the laws regulating the practice of Homoeopathy;

(b) shall not assist others to disobey the law regulating the practice of Homoeopathy;

(c) shall act in aid of the enforcement of sanitary laws and regulations in the interest of public health;

(d) shall comply with the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), Drugs and Cosmetics Rules, 1945; the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948); the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Act 1985 (61 of 1985); the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971), the Transplantation of Human Organ Act, 1994 (42 of 1994); the Persons with Disabilities (Equal Opportunity and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) and Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 and such other related Acts, Rules, of the Central Government or the State Government or the Local Administrative bodies relating to protection and promotion of public health.".

(h) in regulation 20, the words "of Homoeopathy" shall be omitted.

(i) for regulation 38, the following regulation shall be substituted, namely:-

"38. The following acts of commission or omission by a practitioner shall constitute professional misconduct and he shall be liable for disciplinary action, namely:-

(a) if the practitioner contravenes any of the provisions of these regulations;

(b) if the practitioner fails to display the registration number accorded to him by the State Homoeopathic Council or Board or the Central Council of Homoeopathy, as the case may be, in his clinic;

(c) if fails to maintain the records of prescription and certificates issued by him;

(d) if commits the offence of adultery or misbehaves with a patient, or maintaining an improper association with a patient;

(e) if convicted by a court of law for offences involving moral turpitude;

(f) if signs or gives under his name and authority any certificate, report or document of kindred character which is untrue, misleading or improper;

(g) if contravenes the provisions of law relating to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and the rules made thereunder;

(h) if sells a drug or poison prohibited by the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940).

(i) if performs or encourages un-qualified person to perform abortion or any operation;

(j) if issues certificates in Homoeopathy to unqualified or non-medical persons:

Provided that nothing contained in these regulations shall prevent or restrict the proper training and instruction of legitimate employees of doctors, midwives, dispensers, attendants or skilled mechanical and technical assistants under the personal supervision of practitioners of Homoeopathy.

(k) if affixes a signboard in the shop of a chemist or in a place where he does not reside or work;

(l) if discloses the secrets of a patient that have been learnt in the exercise of profession, except in a court of law under order of the presiding judge;

(m) if contravenes the guidelines issued by the concerned Council :

Provided that nothing contained in these regulations shall apply if he conducts the Clinical Drug Trials or other Research involving patients or Volunteers as per the guidelines of Council constituted for Homeopathy by the Central Government or State Government:

Provided further that in all cases regard shall be had to the ethical consideration.

(n) if publishes photographs or case-reports of patients in any medical or other journal:

Provided nothing contained in these regulations shall apply if the same is published with the consent of the patient or without disclosing his identity.

(o) if exhibits in public the scale of fees:

Provided that nothing contained in these regulations shall apply if he displays the same in the physician's consulting or waiting room;

(p) if he uses touts or agents for procuring patients;

(q) if he claims to be a specialist without possessing a special qualification in the branch concerned;

(r) if he contravenes the provisions of sub-regulation (4) of regulation 12;

(s) if he advertises or notifies the name of the institution or clinic in which no facility is offered, names of the diseases not treated;

(t) if he publishes the names or photographs of doctor running or attending the clinic or institution in the advertisement;

(u) if he affixes a sign board unusually large in size and having on it anything other than the name of the practitioner and his qualification with the name of the awarding authority;

(v) if he refuses to treat the patients on the grounds of religion or caste:

Provided that nothing contained in these regulations shall apply if he writes for laying in the press under his own name in matters of public health, hygiene or occasionally delivers a public lecture, gives talks on television or radio relating to health or hygiene without suggesting specific treatment or prescription;

(w) if he issues any certificate referred to in Appendix- 2 which is false, untrue, misleading or improper, his name shall be removed from the Register of Homoeopathic Practitioners.

(j) after regulation 38, the following regulation shall be inserted, namely.—

"39. Disciplinary Action.— (1) If a homoeopathic practitioner commits any act of misconduct, the State Board may,.—

(a) take such disciplinary action as it thinks fit;

(b) remove his name from the Register of State Homoeopathic practitioners permanently or for specified period if convicted of any offence:

Provided that no action under this sub-regulation shall be taken without giving the practitioner a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that no complaint of misconduct under this regulation shall be maintained unless the complaint has been made to the State Board or State Council in the form of an affidavit on a non-judicial stamp paper of rupees one hundred, duly attested by a Notary Public or Oath Commissioner.

(2) The State Board shall forward its decision referred to in sub-regulation (1) to the Central Council.

(3) The aggrieved homoeopathic practitioner may prefer an appeal to the Central Council against the decision of the State Board and the Central Council may decide the case after giving the practitioner and the State Board an opportunity of being heard.

(4) The Council may direct the State Board to restore the name of the practitioner in the State Register after the expiry of the period for which the name of the practitioner was removed.

(5) The Council may restrain the practitioner from practicing homoeopathy during the pendency of the complaint.

(6) While deciding the complaint of professional incompetency, the Central Council shall take the opinion of peer group of practitioners as specified by the Central Council of Homoeopathy.

(7) No complaint against a practitioner for misconduct shall be allowed unless it is made within a period of six months from the date of the alleged misconduct.

DR. LALIT VERMA
Secretary
Central Council of Homoeopathy

Foot note: - The Principal regulations were published in the gazette of India vide notification No. 2 Extraordinary in Part III Section-4 dated March 16, 1982 and subsequent corrigendum notified in Official Gazette dated November 11, 1982.

APPENDIX-I
[See regulation 5A(1)]

FORM OF CERTIFICATE RECOMMENDED FOR LEAVE OR EXTENSION OR COMMUNICATION OF LEAVE AND FOR FITNESS

Signature of patient

or thumb impression _____

To be filled in by the applicant in the presence of the Government Medical Attendant, or Medical Practitioner.

Identification marks:-

(a) _____

(b) _____

I, Dr. _____ after careful examination of the case hereby certify that _____ whose signature is given above is suffering from _____ and I consider that a period of absence from duty of _____ with effect from _____ is absolutely necessary for the restoration of his or her health.

I, Dr. _____ after careful examination of the case certify hereby that _____ on restoration of health is now fit to join service.

Place _____ Signature of Medical Attendant.

Date _____

Registration No. _____

(Central Council of Homoeopathy/State Council of Homoeopathy)

Note.— The nature and probable duration of the illness should also be specified. This certificate must be accompanied by a brief resume of the case giving the nature of the illness, its symptoms, causes and duration.

APPENDIX -2
[See regulation 38(w)]

LIST OF CERTIFICATES TO BE ISSUED BY DOCTORS FOR THE PURPOSE OF VARIOUS ACTS OR ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS.

1. Certificates of birth or death or disposal of the dead under various Central Acts or State Acts;
2. Certificates of lunacy and mental illness under the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) and the rules made thereunder.
3. Certificates under the Education Acts.
4. Certificates under the Public Health Acts and the orders made thereunder.
5. Certificates under the Acts and orders relating to the notification of infectious diseases.
6. Certificates under the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).
7. Certificates in connection with sick benefit insurance and friendly societies.
8. Certificates for procuring or issuing of passports.
9. Certificates of illness for seeking exemption from attending Court of Justice, in public services, in public offices or in ordinary employment.
10. Certificates in connection with matters under the control of Department of Pensions.
11. Certificates for procuring driving license.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in
DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121+ 610=731 Copies